

05⁰³
 2025

वज्रलाम उपा अजायगीठा सं. 3, 6 व
 8 द्वाारा पूर्व में पेश अपना फा बाबत
 उत्तम काउन्टर टी. भाई. खारीज फरमाया
 जाने बाबत को सप्रिलेख पर लिखा जाता
 है। अजायगीठा का जर्जना पत्र बाबत
 काउन्टर टी. भाई. खारीज फरमाया जाने
 बाबत स्वीकार किया जाने योग्य था
 जाने पर द्याप्रहित में स्वीकार किया
 जाना काउन्टर टी. अजायगीठा सं. 3,
 6 व 8 को एही स्तर पर उपरोक्त किया
 जाता है। वाले पेश होने तक शेष
 अजायगीठा मिसल दिनांक 24/03/2025
 को पेश हो

[Signature]
 5/3/2025
 श्री विवेक कुमार
 महेश कुमार
 जरीये अफसर
[Signature]
 5/3/2025

24/3/25 पत्रावली पेश हुई। अमिनाबक सच ने
 आज अदावली कार्य का स्थगन कर
 रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अमिनाबक सच ने
 आज अदावली कार्य का स्थगन कर
 रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

17.7.25 पत्रावली पेश हुई। वज्रलाम (मुद्रापत्रित)
 उपा में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक
 कर बार-बार भावाज फिलवाई
 गई, बावजूद वज्रलाम उपा पर प्रथम

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पक्षकारान में से कोई भी दायित्व
अदाकार नहीं आये। अतः कुलाम
उक्त पक्ष अथवा पक्षकारान की
अनुपस्थिति में प्राप्ता अस्थाई नितेश्वर
को अदम दायी व अदम चेदनी के
द्वारा सिद्ध जाता है। अतः पक्षकारान के
व्युत्पन्न दायित्व नम्बर के अदम हो तथा
नाद तकमील दायित्व दायित्व है।

